

जोबट का व्यक्ति गुजरात ले जाता था नकली शराब, गिरफ्तार

नकली शराब बनाने के मामले में गिरफ्तार आरोपितों वसीम व असलम से पूछताछ के बाद पुलिस ने सप्लायर आरोपित शैलेंद्र उर्फ प्रकाश मंडलोई पुत्र सोमला मंडलोई निवासी जोबट जिला आलीराजपुर को भी गिरफ्तार कर लिया।

Publish Date: | Tue, 12 Oct 2021 12:31 AM (IST)



रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नकली शराब बनाने के मामले में गिरफ्तार आरोपितों वसीम व असलम से पूछताछ के बाद पुलिस ने सप्लायर आरोपित शैलेंद्र उर्फ प्रकाश मंडलोई पुत्र सोमला मंडलोई निवासी जोबट जिला आलीराजपुर को भी गिरफ्तार कर लिया। उसने पूछताछ में बताया कि वह रतलाम में बनी नकली शराब गुजरात व अन्य स्थानों पर ले जाकर बेचता था। आरोपित शराब बनाने का माल इंदौर के एक परिचित व्यक्ति के माध्यम से मंगाने थे। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

पुलिस के अनुसार 8 अक्टूबर 2021 को मदीना कालोनी के पीछे एक बाड़े से आरोपित वसीम पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी बालाजी टाइनशिप को नकली शराब बनाते गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 60 लीटर शराब, 15 किलो यूरिया खाद, डेढ़ किलो नौसादर आदि सामग्री जब्त की गई थी। वसीम को न्यायालय ने उसे 11 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए थे। पूछताछ के बाद उसके साथी आरोपित असलम उर्फ अस्सू पुत्र रसीद खान निवासी हाट रोड को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपितों ने अंग्रेजी के साथ देशी शराब भी बनाना बताया। असलम व शैलेंद्र को रविवार को न्यायालय ने जेल भेज दिया था। इधर पुलिस रिमांड अवधि खत्म होने पर वसीम को सोमवार को पुनः न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे भी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

रतलाम। खुले में गंदगी करने पर जगदीश, सूरजबाई, कलीम, जगदीश कालिका माता, शिव सोनकर बाल चिकित्सालय, गंगाराम, गंगा चायवाला, विनोद बाजना बस स्टैंड, श्रीराम खंडेलवाल, वाइन शाप स्टेशन रोड, सन्नाी गीता मंदिर रोड से 100-100 रुपये का जुर्माना वसूला गया। सभी को भविष्य में गंदगी नहीं करने की समझाइश भी दी गई।

Source: <https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/ratlam-jobs-man-used-to-take-fake-liquor-to-gujarat-arrested-7088964>